

राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख किया है। उन्होंने राजा को देवता के समान मानते हुए प्रजा को राजा की आज्ञा का पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही वह यह भी मानते हैं कि राज्य का निर्माण सात अंगों से मिलकर हुआ है। यूरोप में भी प्राचीन भारतीय राज्यशास्त्र के अनुरूप राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को प्रधानता दी गई थी।

कौटिल्य के राजत्व (स्वामी) संबंधी विचार

कौटिल्य के अनुसार राजा राज्य का सर्वोच्च एवं प्रधान अंग है। कौटिल्य का मानना है कि राजा ही शासन का संचालनकर्ता है। राज्य का प्रमुख उद्देश्य प्रजा का कल्याण करना है जिसके लिए राजा को सर्वप्रथम प्रयास करना चाहिए। कौटिल्य की प्रशासकीय योजना में राजा ही प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था इसलिए वह राजा के कई गुणों का उल्लेख करते हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा को एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। कौटिल्य एक व्यवहारिक राजशास्त्री हैं उन्होंने राजा के आवश्यक गुणों का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है।

राजा के गुण

कौटिल्य के अनुसार राजा को कुलीन तथा शास्त्रों का अनुसरण करने वाला होना चाहिए। उसमें बुद्धि, उत्साह और शक्ति हो। उसे धार्मिक, कृपण और स्वयंभू होना चाहिए। वह सामन्त, राजाओं को अपने वश में करने में समर्थ हो। उसकी मंत्रिपालिद छोटी न हो तथा मंत्रिपालिद पर उसका नियंत्रण हो। राजा को क्रोध, लोभ, भय आदि मानवीय संवेगों से स्वतंत्र रहना चाहिए। उसमें नियमानुसार राजकौष में वृद्धि करने की योग्यता हो।

कौटिल्य इस तथ्य से परिचित थे कि श्वना सर्वगुण सम्पन्न राजा सालता से नहीं मिल सकता। उसके अनुसार राजा में कुछ स्वभाविक गुण होते हैं और कुछ अभ्यास से प्राप्त किए जा सकते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य के स्वभाव और चरित्र पर वंश-परंपरा का प्रभाव पड़ता है, जबकि अभ्यास से उसमें कुछ परिवर्तन संभव है। कौटिल्य ने राजा की शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया है ताकि उसमें प्रशासकीय गुणों का विकास हो सके। कौटिल्य ने राजा के लिए दंडनीति, राज्यशासन, सैन्य विद्या, मानवशास्त्र, इतिहास, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे आवश्यक विषयों के अध्ययन का उल्लेख किया है।

Dr. Jitendra Arora
Asst. Professor.